रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94

REGD. NO. D.L.-33004/94



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 1994/श्रावण 20, 1916
No. 335] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 1994/SRAVANA 20, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1994

सं. 121/94-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 620(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विशेष महत्व अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1), की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची के उस शीर्ष संख्या या उपशीर्ष संख्या के जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है अन्तर्गत आने वाले माल (जिसे इसमें इसके पश्चात् "निवेश" कहा गया है) को जिसका किसी कारखाने में विनिर्माण किया गया है और जिसका उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के तत्समान अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में या उसके संबंध में उत्पादन के कारखाने में प्रयोग किया गया है और जो उक्त टैरिफ अधिनियम की अनुसूची के उस शीर्ष संख्या या उपशीर्ष संख्या के जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, अन्तर्गत आता है, उक्त टैरिफ अधिनियम और उक्त विशेष महत्व अधिनियम को तत्समय अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु इस अधिसूचना को कोई बात ऐसे निवेशों को जिनका उपयोग अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में या उसके संबंध में किया जाता है (उनसे भिन्न जिनकी निकासी मुक्त व्यापार जोन के किसी एककों या शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों या इलेक्ट्रानिक यंत्र सामग्री प्रौद्योगिक पार्क के किसी एकक को की गई है, लागू नहीं होगी जो उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है, या शुल्क की "शून्य" दर से प्रभार्य है :

परन्तु यह और कि जहां निवेशों का ऐसा प्रयोग विनिर्माता के कारखाने में उस कारखाने से भिन्न जहां माल का उत्पादन किया गया है, किया जाता है वहां इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया का पालन करने के अधीन रहते हुए अनुज्ञा होगी।

सारणी

क्र.सं.	अंतिम उत्पादों का वर्णन	अंतिम उत्पादों के शीर्ष संख्यांक या उपशीर्ष संख्यांक	निवेशों के शीर्ष संख्यांक या उपशीर्ष संख्यांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(क) नसवार	2404.50	2404.50
	(ख) वे निर्मितियां जिन में तंबाकू की नसवार किसी भी अनुपात में हो	2404.60	2404.50
2.	खाया जाने वाला तम्बाकू जिसके अंतर्गत "खारा मसाला" "किमाम" "लौंगसा" "जर्दा", "सूखा" और "सूरती" के रूप में सामान्यतया ज्ञात निर्मितियां भी सम्मिलित हैं।	2404.41	2404.49
3.	ऊन का सूत	5103.10, 5103.21, 5103.29	5103.10, 5103.21, 5103.29
4.	ऊनी फैब्रिक	51.07	51.03
5.	सूत जिसके अंतर्गत सिलाई का धागा है	52.03, 52.04, 54.02, 54.03, 54.04, 54.05, 55.04	52.03, 52.04, 54.02, 54.03, 54.04, 54.05 55.04, 55.05, 55.06 55.05, 55.06
6.	सूती सूत	52.03, 52.04	52.03, 52.04
7.	सूती फैब्रिक	52.06, 52.07, 52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 5801.20, 5802.12 5803, 5804.11, 5805.13, 5801.10, 5093.11, 5903.19, 5905.10, 5906.11	52.03, 52.07, 52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 5801.20, 5802.12, 5803, 5804.11, 5805.13 5903.11 5903.19, 5905.10, 5905.11
8.	सन का सूत	5301.31, 5301.32	5301.31, 5301.32
9.	रैमा सूत	5303.31, 5303.32, 5303.39	5303.31, 5303.32, 5303.39
10.	सभी प्रकार के सूत, वैस्टन सूत, धागा, रस्से और डोरी और सूत विनिर्मिति	5302.20, 5306 5607.19, 5702.20, 63.01	5302.20, 5303, 5307.19, 5702.20 6301
11.	संश्लिष्ट फिलामेंट सूत, चाहे संसाधित है या नहीं	54.02, 54.03	54.02, 54.08
12.	कृत्रिम फिलामेंट सूत, चाहे संसाधित है या नहीं	54.04, 54.05	54.04, 54.05
13.	मानव निर्मित फैब्रिक	54.09, 54.10, 54.11, 54.12, 55.08, 55.09, 55.10, 55.11, 55.12, 5802.14, 5805.14, 5903.21, 5903.29, 5905.20, 5906.12	54.09, 54.10, 54.11, 54.12, 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 5903.21, 5903.29, 5905.20, 5906.12
14.	संश्लिष्ट स्टैपल फाइबर और टो जिनके अंतर्गत उनके चूड़े भी हैं	55.01	55.01
15.	कृत्रिम स्टैपल फाइबर और टो जिनके अंतर्गत उनके चूड़े भी हैं	55.02	55.02
16.	संश्लिष्ट स्टेपल फाइबर का सूत	55.04	55.04
17.	कृत्रिम स्टेपल फाइबर का सूत जिसकेअंतर्गत संश्लिष्ट स्टेपल फाइबर नहीं है	55.05	55.05
18.	कृत्रिम स्टेपल फाइबर का सूत जिसके अंतर्गत संश्लिष्ट स्टैपल फाइबर भी हैं	55.06	55.06
19.	नमदा, अबुनित, कालीन और टैक्सटाइल की अन्य फर्श की बिछावनें, जिसके अंतर्गत नमदे की फर्श बिछावने भी हैं	56.02, 56.03, 57.02	56.02, 56.03, 57.02
20.	बारीक बुनित फैब्रिक	5806.10	40.07, 52.03, 54.02, 54.03, 54.04, 54.05, 55.04, 55.05, 55.06

[फा. सं. 357/7/94-टी. आर. यू.]

लक्ष्मण, कुमार गोविल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 1994

No. 121/94-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 620(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) (hereinafter referred to as the said Special Importance Act), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods falling under heading numbers or sub-heading numbers of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) (hereinafter referred to as the said Tariff Act) specified in column (4) of the Table hereto annexed (hereinafter referred to as "inputs") manufactured in a factory and used within the factory of production in or in relation to the manufacture of corresponding final products of the description specified in column (2) of the said Table and falling under heading numbers or sub-heading numbers of the Schedulde to the said Tariff Act, specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, from the whole of the duty of excise and additional duty of excise leviable thereon, which is specified in the respective Schedules to the said Tariff Act and the said Special Importance Act:

Provided that nothing contained in this notification shall apply to inputs used in or in relation to the manufacture of final products (other than those cleared either to a unit in a Free Trade Zone or to a 100% Export-Oriented Unit or to a unit in an Electronic Hardware Technology Park), which are exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon or are chargeable to 'Nil' rate of duty :

Provided further that where such use of inputs is in a factory of a manufacturer, different from his factory where the goods have been produced, the exemption contained in this notification shall be allowable subject to the observance of the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944.

TABLE

Sl. No.	Description of final products	Heading number or sub-heading number of final products	Heading number or sub-heading number of inputs
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(a) Snuff	2404.50	2404.50
	(b) Preparation, containing snuff of tobacco in any proportion	2404.60	2404.50
2.	Chewing tobacco including preparations commonly known as "Khara Masala", "Kimam", "Dokta", "Zarda", "Sukha" and "Surti"	2404.41	2404.49
3.	Woollen Yarn	5103.10, 5103.21, 5103.29	5103.10, 5103.21, 5103.29
4.	Woollen fabrics	51.07	51.03
5.	Yarn, including sewing thread	52.03, 52.04, 54.02, 54.03, 54.04, 54.05, 55.04, 55.05, 55.06	52.03, 52.04, 54.02, 54.03, 54.04, 54.05, 55.04, 55.05, 55.06
6.	Cotton yarn	52.03, 52.04	52.03, 52.04
7.	Cotton fabrics	52.06, 52.07, 52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 5801.20, 5802.12, 58.03, 5804.11, 5805.13, 5901.10, 5903.11, 5903.19, 5905.10, 5906.11	52.06, 52.07, 52.08, 52.09 52.10, 52.11, 5801.20, 5802.12, 58.03, 5804.11, 5805.13, 5901.10, 5903.11, 5903.19, 5905.10, 5906.11

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Flax yarn	5301.31, 5301.32	5301.31, 5301.32
9.	Ramie yarn	5303.31, 5303.32, 5303.39	5303.31, 5303.32, 5303.39
10.	Jute, twist, yarn, thread, ropes and twine, all sorts and Jute manufactures	5302.20, 53.06, 5607.19, 5702.20, 63.01	5302.20, 53.06, 5607.19, 5702.20, 63.01
11.	Synthetic filament yarn, whether or not textured.	54.02, 54.03	54.02, 54.03
12.	Artificial filament yarn, whether or not textured	54.04, 54.05	54.04, 54.05
13.	Man-made fabrics	54.09, 54.10, 54.11, 54.12, 55.08, 55.09, 55.10, 55.11, 55.12, 5802.14, 5805.14, 5903.21, 5903.29, 5905.20, 5906.12	54.09, 54.10, 54.11, 54.12, 55.08, 55.09, 55.10, 55.11, 55.12, 5802.14, 5805.14, 5903.21, 5903.29, 5905.20, 5906.12
14.	Synthetic staple fibres and tow, including tops thereof	55.01	55.01
15.	Artificial staple fibres and tow, including tops thereof	55.02	55.02
16.	Yarn of synthetic staple fibres	55.04	55 04
17.	Yarn of artificial staple fibre, not containing synthetic staple fibre	55.05	55.05
18.	Yarn of artificial staple fibre containing synthetic staple fibre	55.06	55.06
19.	Felt, non-woven, carpets and other textile floor coverings, including floor coverings of felt	56.02, 56.03, 57.02	56.02, 56.03, 57.02
20.	Narrow woven fabrics	5806.10	40.07, 52.03, 54.02, 54. 03, 54.04, 54.05, 55.04, 55. 05, 55.06.

[F. No. 357/7/94—TRU]

TARUN KUMAR GOVIL, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994